जलवायु न्याय और कूटनीति: विकासशील देशों के संदर्भ में 'नुकसान और क्षति' तंत्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Abhilasha Maravi*

Assistant Professor, PMCOE Rani Durgawati PG College, Mandla, MP
E-Mail: maraviabhilasha718@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20834352

सार:

जलवायु परिवर्तन की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं ने वैश्विक दक्षिण के विकासशील एवं अल्पविकसित देशों को सबसे अधिक प्रभावित किया है, जबकि ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इनका योगदान न्यूनतम रहा है। यह विरोधाभास 'जलवायु न्याय' की अवधारणा का मूल आधार है, जिसके अंतर्गत 'नुकसान और क्षति' (Loss and Damage) तंत्र पिछले तीन दशकों में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) की वार्ताओं में विवादास्पद एवं राजनीतिक रूप से संवेदनशील विषय रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र जलवायु न्याय के सैद्धांतिक प्रतिमानों—वितरणात्मक, प्रक्रियात्मक एवं सुधारात्मक न्याय—के परिप्रेक्ष्य में 1991 में AOSIS द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक प्रस्ताव से लेकर COP27 (2022) में नुकसान एवं क्षति कोष की स्थापना, COP28 (2023) में इसके औपचारिक संचालन, COP29 (2024) में इसके संस्थागत एवं शासन-संबंधी ढांचे के सुदृढ़ीकरण तथा COP30 (2025) में इसके कार्यान्वयन एवं प्रारंभिक परिचालन प्रगति तक के कूटनीतिक विकास-क्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन द्वितीयक स्रोतों — UNFCCC दस्तावेज़, विश्व बैंक तथ्य-पत्रक, IPCC आकलन-रिपोर्ट तथा शैक्षणिक एवं नीति-विश्लेषणात्मक साहित्य — पर आधारित गुणात्मक, विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि यद्यपि तंत्र की संस्थागत स्थापना एक ऐतिहासिक कूटनीतिक उपलब्धि है, तथापि अपर्याप्त एवं अनिश्चित वित्तपोषण, मात्रीकरण की कार्यप्रणालीगत जटिलता, अभिगम संबंधी प्रशासनिक बाधाएँ तथा दायित्व-वहन से बचने की विकसित देशों की राजनयिक रणनीति इसकी प्रभावशीलता को गंभीर रूप से सीमित करती हैं। पत्र वित्तपोषण के नवोन्मेषी एवं स्वचालित स्रोतों, सरलीकृत अभिगम-प्रक्रियाओं तथा भारत जैसे उभरते बड़े विकासशील देशों की मध्यस्थ कूटनीतिक भूमिका पर आधारित सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करता है।

कीवर्ड्स: *जलवायु न्याय, नुकसान और क्षति, UNFCCC, वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र, COP27/28/29/30, विकासशील देश, जलवायु कूटनीति, FRLD, CBDR-RC.*

IJSSRA l ISSN (online): 3107-6238
January-March 2026 l Vol. 1 l Issue 4

1. प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन वर्तमान शताब्दी की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है, और इसकी सबसे विडंबनापूर्ण विशेषता यह तथ्य है कि इसके दुष्प्रभावों का बोझ उन देशों एवं समुदायों पर सर्वाधिक पड़ रहा है, जिनका ऐतिहासिक रूप से वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों के संचयन में योगदान न्यूनतम रहा है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात विकसित देशों द्वारा संचित कार्बन उत्सर्जन ने वैश्विक तापमान-वृद्धि की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, उसके परिणाम — चक्रवात, अतिवृष्टि, सूखा, समुद्र-स्तर वृद्धि, हिमनदों का क्षरण तथा मरुस्थलीकरण — आज अफ्रीका, दक्षिण एशिया तथा प्रशांत एवं कैरिबियाई क्षेत्र के लघु द्वीपीय राष्ट्रों में सबसे अधिक विनाशकारी रूप में दिखाई दे रहे हैं। यह असंगति — 'ऐतिहासिक उत्तरदायित्व' और 'समकालीन भेद्यता' के मध्य की खाई — ही जलवायु न्याय (Climate Justice) की संकल्पना का आधार है। जलवायु न्याय का विमर्श केवल पर्यावरणीय नैतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शासन, विकास और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न भी है। विशेषतः 'साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमता' (CBDR-RC) के सिद्धांत की व्याख्या और अनुप्रयोग को लेकर विकसित एवं विकासशील देशों के मध्य दीर्घकालिक वैचारिक तथा नीतिगत मतभेद विद्यमान रहे हैं। इस संघर्ष की सबसे ठोस संस्थागत अभिव्यक्ति 'नुकसान और क्षति' (Loss and Damage) तंत्र है — एक ऐसी व्यवस्था जो जलवायु परिवर्तन के उन अपरिवर्तनीय (irreversible) तथा अनुकूलन-सीमा से परे (beyond adaptation) प्रभावों को संबोधित करने हेतु विकसित की गई है, जिनकी न तो उत्सर्जन-रोकथाम (mitigation) से बचाव संभव है और न ही अनुकूलन (adaptation) से पूर्ण क्षतिपूर्ति।

तीन दशकों तक चली कूटनीतिक वार्ताओं के बाद, मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित COP27 (2022) में विकासशील देशों के दीर्घकालिक प्रयासों एवं दबाव के परिणामस्वरूप एक समर्पित नुकसान एवं क्षति कोष की स्थापना पर सहमति बनी, जिसे व्यापक रूप से एक ऐतिहासिक कूटनीतिक उपलब्धि माना गया। इसके पश्चात COP28 (दुबई, 2023), COP29 (बाकू, 2024) तथा COP30 (बेलेम, 2025) में इस कोष के संस्थागत विकास, परिचालन व्यवस्था, शासन-संबंधी तंत्र तथा प्रारंभिक कार्यान्वयन को क्रमशः आगे बढ़ाया गया। तथापि, संस्थागत स्थापना की यह यात्रा वित्तपोषण की कमी, राजनीतिक अनिच्छा तथा प्रशासनिक जटिलताओं से भी अनुप्राणित रही है, जो यह प्रश्न उठाती है कि क्या यह तंत्र वास्तव में जलवायु न्याय के आदर्शों की पूर्ति कर पाएगा अथवा मात्र एक प्रतीकात्मक कूटनीतिक समझौता बनकर रह जाएगा।

प्रस्तुत शोध पत्र इसी प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में नुकसान और क्षति तंत्र के सैद्धांतिक, ऐतिहासिक, कूटनीतिक तथा व्यावहारिक आयामों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जिसमें विशेष रूप से विकासशील एवं अल्पविकसित देशों के दृष्टिकोण को केंद्र में रखा गया है।

2. साहित्य समीक्षा

नुकसान एवं क्षति विषयक साहित्य को विश्लेषणात्मक रूप से चार प्रमुख धाराओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम धारा जलवायु न्याय के सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधारों से संबंधित है, जो वितरणात्मक, प्रक्रियात्मक तथा सुधारात्मक/प्रतिकारात्मक न्याय के प्रतिमानों के माध्यम से यह तर्क प्रस्तुत करती है कि ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में अधिक योगदान देने वाले तथा अधिक क्षमता रखने वाले देशों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने हेतु अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायित्व निहित है — "रॉबर्ट्स एवं पार्क्स (2007) की A Climate of Injustice इस धारा की एक प्रमुख एवं व्यापक रूप से उद्धृत कृति है।" दूसरी धारा कानूनी-संस्थागत साहित्य की है, जो UNFCCC के अनुच्छेद 4.8 एवं 4.9, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 8 तथा वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र (WIM) की संस्थागत सीमाओं का विश्लेषण करती है। यह साहित्य विशेष रूप से इस तथ्य पर बल देता है कि पेरिस समझौते को अपनाने वाले निर्णय 1/CP.21 के पैरा 51 में स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 8 को किसी दायित्व (liability) अथवा क्षतिपूर्ति (compensation) के कानूनी आधार के रूप में नहीं माना जाएगा। तीसरी धारा कूटनीतिक वार्ता-प्रक्रियाओं (negotiation dynamics) पर केंद्रित है, जिसमें G77+China, AOSIS तथा LDC समूहों की गठबंधन-रणनीतियों के साथ-साथ विकसित देशों, विशेषतः अंब्रेला समूह एवं यूरोपीय संघ, की वार्ता-स्थितियों, संस्थागत प्राथमिकताओं तथा दायित्व-संबंधी सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण का अध्ययन किया गया है। चौथी एवं सबसे नवीन साहित्यिक धारा, जिसे COP27 के बाद विशेष गति प्राप्त हुई, कोष के व्यावहारिक क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों—वित्तपोषण अंतराल, शासन-ढांचा, अभिगम मानदंड तथा संवितरण गति—का अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस धारा में विश्व बैंक, ODI Global, Heinrich Böll Stiftung तथा Carbon Brief जैसी संस्थाओं द्वारा प्रकाशित नियमित विश्लेषण और नीति-अध्ययन प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं। विद्यमान साहित्य में एक उल्लेखनीय अंतराल यह है कि अधिकांश अध्ययन वार्ता-प्रक्रिया अथवा संस्थागत संरचना पर पृथक-पृथक केंद्रित हैं; जलवायु न्याय के सैद्धांतिक प्रतिमानों को कूटनीतिक वास्तविकता एवं भारत जैसे उभरते बड़े विकासशील देशों की मध्यस्थ भूमिका के साथ समेकित रूप से जोड़कर देखने वाले अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं — यही अंतराल प्रस्तुत शोध पत्र को प्रेरित करता है।

3. शोध समस्या एवं औचित्य

यद्यपि COP27 से COP30 के मध्य नुकसान एवं क्षति कोष का संस्थागत विकास जलवायु शासन में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है, तथापि उपलब्ध वित्तीय प्रतिबद्धताओं और अनुमानित आवश्यकताओं के मध्य विद्यमान विशाल अंतर इसकी प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। विभिन्न आकलनों के अनुसार विकासशील देशों

की वार्षिक आवश्यकताएँ सैकड़ों अरब डॉलर के स्तर पर हैं, जबकि कोष के लिए घोषित प्रतिज्ञाएँ अभी भी एक अरब डॉलर से कम रही हैं। परिणामतः वर्तमान वित्तीय व्यवस्था आवश्यकताओं की तुलना में अत्यंत अपर्याप्त प्रतीत होती है और तंत्र की संरचनात्मक तथा राजनीतिक सीमाओं के गंभीर विश्लेषण की मांग करती है। अतः यह अध्ययन इस औचित्य पर आधारित है कि नुकसान व क्षति तंत्र की सफलता अथवा असफलता का मूल्यांकन केवल इसकी संस्थागत स्थापना के आधार पर नहीं, अपितु इसकी कूटनीतिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं विकासशील देशों पर इसके वास्तविक प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए।

4. शोध के उद्देश्य

1. जलवायु न्याय की संकल्पना के सैद्धांतिक प्रतिमानों (वितरणात्मक, प्रक्रियात्मक एवं सुधारात्मक न्याय) का विश्लेषण करना।
2. UNFCCC वार्ता-प्रक्रिया में नुकसान और क्षति तंत्र के ऐतिहासिक विकास-क्रम (1991-2025) का कालानुक्रमिक मानचित्रण करना।
3. नुकसान व क्षति कोष की स्थापना एवं संचालन को आकार देने वाली कूटनीतिक वार्ता-गतिशीलता (G77+China, AOSIS, LDC तथा विकसित देश समूहों की भूमिका) का विश्लेषण करना।
4. विकासशील देशों — विशेष रूप से लघु द्वीपीय राष्ट्रों, अल्पविकसित देशों तथा दक्षिण एशियाई देशों — पर तंत्र के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करना।
5. तंत्र की वर्तमान संरचनात्मक, वित्तीय तथा प्रशासनिक सीमाओं की पहचान करना।
6. भारत की कूटनीतिक भूमिका का विशेष संदर्भ में विश्लेषण करते हुए तंत्र की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करना।

5. शोध प्रश्न

1. जलवायु न्याय के सैद्धांतिक प्रतिमान नुकसान व क्षति तंत्र की अंतरराष्ट्रीय वार्ता-प्रक्रिया में किस प्रकार प्रतिबिंबित हुए हैं?
2. वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र (2013) से नुकसान व क्षति कोष (2022-2025) तक की कूटनीतिक यात्रा में कौन-से निर्णायक मोड़ रहे हैं?

3. विकसित देशों ने दायित्व/क्षतिपूर्ति से बचने तथा 'स्वैच्छिक सहयोग' के ढांचे को स्थापित करने हेतु कौन-सी कूटनीतिक रणनीतियाँ अपनाईं?

4. वर्तमान वित्तपोषण ढांचा विकासशील देशों की वास्तविक आवश्यकताओं की कितनी पूर्ति कर पाने में सक्षम है?

5. भारत जैसे बड़े उभरते विकासशील देश की कूटनीतिक भूमिका तंत्र की भविष्य की दिशा को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है?

6. शोध प्रणाली (Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक, विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है तथा पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर है। प्राथमिक दस्तावेज़ी स्रोतों में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के निर्णय-दस्तावेज़ (जैसे निर्णय 2/CP.27, 2/CMA.4), पेरिस समझौता तथा वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र की कार्यकारी समिति के प्रतिवेदन सम्मिलित हैं। द्वितीयक स्रोतों में विश्व बैंक के तथ्य-पत्रक, अंतर-सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (IPCC) की आकलन रिपोर्ट, अग्रणी थिंक-टैंकों (World Resources Institute, ODI Global, Heinrich Böll Stiftung, Carbon Brief, Center for Climate and Energy Solutions) के विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तथा समसामयिक समाचार स्रोत शामिल हैं। अध्ययन में ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक पद्धति (कालानुक्रमिक मानचित्रण हेतु) तथा तुलनात्मक केस-स्टडी पद्धति (विभिन्न विकासशील देश समूहों के अनुभवों की तुलना हेतु) का संयुक्त प्रयोग किया गया है।

7. जलवायु न्याय: वैचारिक रूपरेखा

जलवायु न्याय की संकल्पना पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (environmental jurisprudence) तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक नैतिकता के संगम पर स्थित है। इसे सामान्यतः तीन परस्पर-संबद्ध प्रतिमानों के माध्यम से समझा जाता है।

वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice)

यह प्रतिमान उस असमानता पर केंद्रित है जो जलवायु परिवर्तन से जुड़े लाभ और हानि के बीच दिखती है। एक तरफ औद्योगीकरण ने अर्थव्यवस्थाओं को अपार संपन्नता दी; दूसरी तरफ, जलवायु प्रभावों की भयावहता भी सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लाभ और हानि बराबर नहीं बंटे।

अगर हम तथ्यों की बात करें, तो दुनिया की सबसे धनी अर्थव्यवस्थाओं ने ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित की हैं। वहीं, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश — जिनका इस संचयी उत्सर्जन में योगदान बहुत कम रहा है — आज जलवायु प्रभावों के लिए सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं।

प्रक्रियात्मक न्याय (Procedural Justice)

यह प्रतिमान अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता-प्रक्रिया में विकासशील देशों, विशेषतः लघु द्वीपीय राष्ट्रों (SIDS) तथा अल्पविकसित देशों (LDCs), की निर्णय-निर्माण में सार्थक एवं समान सहभागिता की मांग करता है। तकनीकी एवं वार्तात्मक संसाधनों की गंभीर कमी के कारण इन देशों को प्रायः जटिल वार्ता-प्रक्रिया में हाशिए पर रखा जाता रहा है। विकसित देश अक्सर 150–200 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं, जबकि कई विकासशील देशों के पास केवल 5–10 प्रतिनिधि ही होते हैं — जिससे समानांतर वार्ता सत्रों में भाग लेना असंभव हो जाता है। इस संसाधन विषमता के अलावा, कानूनी विशेषज्ञता की असमान पहुँच, वार्ता की रणनीतिक बाधाएँ (जैसे देर रात तक बैठकों का विस्तार), तथा बंद-दरवाज़ा सत्रों में वंचित रखना जैसी प्रक्रियागत बाधाएँ विकासशील देशों की प्रभावी सहभागिता को और कमज़ोर करती हैं। (Gomez & Rao, n.d.)

विशेष रूप से, AOSIS (Alliance of Small Island States) जैसे देश समूहों को अपनी सीमित आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के बावजूद समन्वय और संसाधन-पूलिंग के माध्यम से प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी पड़ती है; फिर भी, व्यक्तिगत स्तर पर कई SIDS के प्रतिनिधिमंडल में केवल एक-दो सदस्य ही होते हैं। तकनीकी जटिलता — जैसे कार्बन बाज़ार, हानि-क्षति तंत्र, या कानूनी प्रक्रियाएँ — और उच्च प्रतिनिधि-परिवर्तन दर (high turnover) के कारण विकासशील देशों की वार्ता क्षमता और निर्णय-निर्माण में प्रभावशीलता लगातार प्रभावित होती है। (Betzold et al., 2011)

सुधारात्मक/प्रतिकारात्मक न्याय (Corrective Justice)

यह प्रतिमान 'प्रदूषक भुगतान करे' (Polluter Pays Principle) के सिद्धांत पर आधारित है तथा यह तर्क प्रस्तुत करता है कि ऐतिहासिक उत्सर्जकों का प्रभावित देशों के प्रति प्रत्यक्ष वित्तीय एवं नैतिक उत्तरदायित्व है। यह सिद्धांत 'तुमने तोड़ा, तुम सुधारो' (you broke it, you fix it) की नीति का अनुसरण करता है, जिसमें उत्सर्जक अपनी गतिविधियों से उत्पन्न हानि की लागत को आंतरिकीकृत (internalise) करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। (Butt, 1992)

नुकसान व क्षति (Loss and Damage) तंत्र संरचनात्मक रूप से इस तीसरे प्रतिमान के सबसे निकट है — यह एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय तंत्र है जो जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य प्रभावों से हुई हानियों की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करता है। यद्यपि — जैसा कि अग्र भाग में विश्लेषित किया गया है — विकसित देशों ने सतत् रूप से इसे 'दायित्व' (liability) के स्थान पर 'सहयोग एवं समर्थन' (cooperation and support) की भाषा में परिभाषित करने का प्रयास किया है। (German Council on Foreign Relations)

वास्तव में, 'सामान्य परंतु विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ' (CBDR-RC) — UNFCCC (1992) की अनुच्छेद 3(1) में निहित मूलभूत सिद्धांत — ऐतिहासिक जिम्मेदारी (culpability) और वित्तीय क्षमता (capacity) दोनों को जोड़ता है। विकासशील देशों ने हमेशा इस सिद्धांत के 'उत्तरदायित्व' पक्ष पर ज़ोर दिया, जबकि विकसित देशों ने विशेष रूप से 'क्षमताएँ' पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऐतिहासिक जिम्मेदारी के स्पष्ट रूप को अस्वीकार किया। इस भाषा के परिवर्तन का प्रभाव यह रहा कि नुकसान व क्षति तंत्र को एक अनिवार्य कानूनी दायित्व (strict liability) के बजाय एक स्वैच्छिक सहयोग सहायता तंत्र के रूप में विकसित किया गया, जिससे विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत मुआवज़े की मांग कमज़ोर हो गई। (Debergh, 2021).

8. नुकसान और क्षति: अवधारणा एवं ऐतिहासिक विकास-क्रम

संकल्पनात्मक स्पष्टीकरण

जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो तीन मुख्य रास्ते आमतौर पर सामने आते हैं: उत्सर्जन कम करना (mitigation), खुद को बदलाव के लिए तैयार करना (adaptation), और फिर वह जगह जहाँ ये दोनों रास्ते खत्म हो जाते हैं — नुकसान और क्षति (Loss and Damage)।

यह शब्द उन प्रभावों को दर्शाता है जो उत्सर्जन-रोकथाम और अनुकूलन की सीमाओं से परे चले जाते हैं। अर्थात्, ऐसे नुकसान जिन्हें न तो हम उत्सर्जन घटाकर टाल सकते हैं, न ही अनुकूलन उपायों से पूरी तरह संभाल सकते हैं (Thomas, 2022)। IPCC की भाषा में, यह "अनुकूलन की सीमाओं के बाद बची हुई हानि" है — जिसमें कठोर सीमाएँ (जहाँ कोई उपाय संभव नहीं, जैसे जान-माल की अपूरणीय हानि) और नरम सीमाएँ (जहाँ उपाय संभव हैं पर संसाधनों की कमी से अनुपलब्ध) शामिल हैं।

प्रकार	**उदाहरण**
आर्थिक नुकसान	फसल-विनाश, अवसंरचना-क्षति, संपत्ति-हानि, बीमा-रहित नुकसान
गैर-आर्थिक नुकसान	जीवन-हानि, सांस्कृतिक विरासत का विनाश, विस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, पारंपरिक ज्ञान का लोप

Table 1: नुकसान के उदाहरण सहित प्रकार

इसके अलावा, एक और उपयोगी वर्गीकरण घटना के प्रकार के आधार पर है:

आकस्मिक/तीव्र घटनाएँ (Extreme/Rapid-onset events): चक्रवात, बाढ़, सूखा, गर्मी की लहरें — जो एक झटके में आती हैं और तबाही मचाती हैं।

क्रमिक/धीमी घटनाएँ (Slow-onset events): समुद्र-स्तर वृद्धि, मरुस्थलीकरण, हिमनद-क्षरण, जैव-विविधता का ह्रास, समुद्री अम्लीकरण — जो धीरे-धीरे घर बसाती हैं, पर उतनी ही खतरनाक हैं।

कालानुक्रमिक विकास-क्रम (1991-2025)

यह एक लंबी यात्रा रही है — जिसकी शुरुआत एक छोटे से द्वीप देश के साहसी प्रस्ताव से हुई और आज एक अंतरराष्ट्रीय कोष तक पहुँची है। आइए, इसे साल-दर-साल समझें:

वर्ष	**घटना / सम्मेलन**	**प्रमुख कूटनीतिक विकास**
1991	AOSIS प्रस्ताव	वानुआतु (AOSIS के संस्थापक अध्यक्ष) ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय बीमा पूल का प्रस्ताव रखा, ताकि समुद्र-स्तर वृद्धि से होने वाली हानि-क्षति का मुआवज़ा मिल सके
1992	UNFCCC (रियो शिखर सम्मेलन)	अनुच्छेद 4.8 और 4.9 में भेद्य देशों (विशेषतः छोटे द्वीपीय देश, निम्न तटीय क्षेत्र, शुष्क-अर्धशुष्क क्षेत्र) के लिए बीमा, तकनीक हस्तांतरण और वित्तीय सहायता के सामान्य प्रावधान शामिल किए गए (UNFCCC, 1992)
2007	COP13 — बाली कार्य योजना	जोखिम प्रबंधन, जोखिम-न्यूनीकरण रणनीतियों और जलवायु प्रभावों से जुड़ी हानि-क्षति को संबोधित करने के लिए "विस्तारित अनुकूलन कार्रवाई" पर विचार-विमर्श प्रारंभ
2010	COP16 — कानकुन अनुकूलन फ्रेमवर्क	नुकसान व क्षति पर एक समर्पित कार्य-कार्यक्रम (Work Programme) स्थापित — जिसमें आकस्मिक घटनाओं और धीमी घटनाओं दोनों को शामिल किया गया (Mayer, B. , 2017)
2013	COP19 — वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र (WIM)	नुकसान व क्षति हेतु पहला संस्थागत तंत्र स्थापित — ज्ञान-वृद्धि, संवाद और कार्रवाई-सहायता (वित्त, तकनीक, क्षमता-निर्माण) के तीन स्तंभों पर आधारित (White et al., 2025)
2015	पेरिस समझौता — अनुच्छेद 8	नुकसान व क्षति को औपचारिक मान्यता, परंतु निर्णय 1/CP.21 (पैरा 51) में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह "किसी भी दायित्व या क्षतिपूर्ति का आधार नहीं बनाता" (Loss and Damage in

		Paris and State Responsibility - Legal Response International, 2025)
2019	COP25 — सैंटियागो नेटवर्क	तकनीकी सहायता और क्षमता-निर्माण हेतु सैंटियागो नेटवर्क की स्थापना; हालाँकि इसका वास्तविक संचालन बाद में हुआ (United Nations Climate Change Conference, 2019)
2021	COP26 — ग्लासगो संवाद	वित्तपोषण पर "ग्लासगो संवाद" शुरू; G77+चीन द्वारा "ग्लासगो हानि-क्षति वित्त सुविधा" की मांग की गई, पर विकसित देशों ने इसे रोका — अंततः एक संवाद तंत्र के रूप में समझौता (Briefing: Towards a Glasgow Dialogue That Matters, 2022)
2022	COP27 — शर्म अल-शेख	नए कोष की ऐतिहासिक स्थापना पर सहमति — निर्णय 2/CP.27 और 2/CMA.4; हालाँकि, कोष की संरचना और संचालन विवरण भविष्य के लिए छोड़े गए (The United States Agrees to Loss and Damage Fund at COP27, 2023)
2023	COP28 — दुबई	FRLD का औपचारिक संचालन — विश्व बैंक को अंतरिम ट्रस्टी नियुक्त; प्रारंभिक प्रतिज्ञाएँ 661 मिलियन डॉलर (कुल ~770 मिलियन डॉलर तक); सैंटियागो नेटवर्क का सचिवालय भी स्थापित (UNFCCC, 2023)
2024	COP29 — बाकू	FRLD प्रबंध-व्यवस्था को अंतिम रूप — पहले कार्यकारी निदेशक (इब्राहिमा शेख डियोंग, सीनगल) की नियुक्ति; NCQG लक्ष्य: 300 बिलियन/वर्ष (कुल 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक) (Schalatek, 2025)
2025	COP30 — बेलेम	बारबाडोस क्रियान्वयन रूपरेखा (BIM) — 250 मिलियन डॉलर का प्रारंभिक आवंटन; पहला आवेदन-आह्वान 15 दिसंबर 2025 से 15 जून 2026 तक; प्रतिकृति-चक्र की पुष्टि

Table 2: प्रमुख कूटनीतिक विकास (1991-2025)

IJSSRA l ISSN (online): 3107-6238
January-March 2026 l Vol. 1 l Issue 4

COP27 से COP30: निर्णायक कूटनीतिक चरण

इस ऐतिहासिक यात्रा का सबसे निर्णायक मोड़ COP27 (शर्म अल-शेख, मिस्र, 2022) था, जहाँ निर्णय 2/CP.27 एवं 2/CMA.4 के माध्यम से नई वित्तपोषण व्यवस्था, जिसमें एक समर्पित कोष भी सम्मिलित था, की स्थापना पर सहमति बनी। इस निर्णय का कार्यान्वयन एक संक्रमणकालीन समिति (Transitional Committee) को सौंपा गया, जिसने एक वर्ष से कम समय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं — जो तीन दशक की कूटनीतिक स्थिरता के पश्चात एक उल्लेखनीय गति थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संरचना (UNFCCC) के इतिहास में COP28 (दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, 2023) एक अभूतपूर्व कूटनीतिक घटना के रूप में अंकित है। सम्मेलन के प्रथम दिवस पर ही, बिना किसी औपचारिक आपत्ति के, 'नुकसान व क्षति प्रतिक्रिया कोष' (Fund for Responding to Loss and Damage, FRLD) के संचालन पर औपचारिक सहमति प्राप्त हुई — जिसे COP के इतिहास में पहले दिन लिए गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना गया।

COP28 तथा CMA 5 के निर्णय 1/CP.28 और 5/CMA.5 के अंतर्गत, विश्व बैंक (World Bank) को चार वर्ष की अंतरिम अवधि हेतु कोष का मेजबान (host), सचिवालय (secretariat) तथा ट्रस्टी (trustee) नियुक्त करने का निमंत्रण दिया गया। यद्यपि COP28 ने नवंबर 2023 में इस निमंत्रण को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया, परंतु विश्व बैंक की भूमिका की अंतिम पुष्टि FRLD बोर्ड द्वारा जून 2024 में की गई, जब बोर्ड ने विश्व बैंक के साथ होस्टिंग और ट्रस्टी अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। COP28 के दौरान ही, कुल 18 देशों तथा यूरोपीय संघ द्वारा लगभग 661.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिज्ञाएँ की गईं। यह प्रारंभिक राशि, यद्यपि प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, तथापि वास्तविक आवश्यकता की तुलना में अत्यंत अपर्याप्त मानी गई। हालिया अनुमानों के अनुसार, जलवायु-जनित नुकसान व क्षति की वैश्विक वार्षिक आवश्यकता 2030 तक 671 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है। इस प्रकार, COP28 की प्रतिज्ञाएँ कुल अनुमानित आवश्यकता का लगभग 0.1 प्रतिशत भी नहीं बनतीं। इस संदर्भ में, विकसित देशों द्वारा स्वैच्छिक (voluntary) योगदान पर ज़ोर देना — जो उनके ऐतिहासिक उत्सर्जन उत्तरदायित्व से पृथक् है — एक गंभीर वित्तीय अंतराल (financing gap) की ओर इशारा करता है।

COP29 (बाकू, अज़रबैजान, 2024) में कोष को संस्थागत रूप से सशक्त किया गया — 21 सितंबर 2024 को इब्राहिमा शेख डियोंग को चार वर्षीय कार्यकाल (1 नवंबर 2024 से प्रभावी) हेतु कोष का प्रथम कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया

गया, तथा COP29 एवं CMA 6 के दौरान कोष बोर्ड, COP एवं CMA के मध्य औपचारिक प्रबंध-व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया, जिससे FRLD को UNFCCC एवं पेरिस समझौते की वित्तीय संरचना के भीतर एक संचालक इकाई (operating entity) के रूप में स्थापित किया गया। इसी सम्मेलन में नई सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (NCQG) पर सहमति बनी, जिसके अंतर्गत विकसित देशों ने 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम 300 बिलियन डॉलर (सार्वजनिक एवं निजी स्रोतों से मिलाकर 1.3 ट्रिलियन डॉलर) जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया, यद्यपि अनेक विकासशील देशों तथा जलवायु-भेद्य राष्ट्रों ने इसे अपर्याप्त माना और 500 बिलियन डॉलर की न्यूनतम मांग की। अगले वर्ष COP30 (बेलेम, ब्राज़ील, 2025) में कोष की प्रथम प्रतिकृति-चक्र (2027 हेतु) की पुष्टि की गई तथा 'बारबाडोस क्रियान्वयन रूपरेखा' (BIM) के अंतर्गत 250 मिलियन डॉलर के प्रारंभिक स्टार्ट-अप पैकेज से 5-20 मिलियन डॉलर के अनुदानों हेतु पहला आवेदन-आह्वान COP30 के दौरान (नवंबर 2025) प्रारंभ हुआ, जिसकी अवधि 15 दिसंबर 2025 से 15 जून 2026 तक निर्धारित की गई; तथापि COP30 में नुकसान व क्षति के मुद्दे को अपेक्षाकृत कम राजनीतिक प्राथमिकता मिली, क्योंकि वारसॉ अंतरराष्ट्रीय तंत्र (WIM) की तीसरी समीक्षा केवल सीमित प्रगति के साथ संपन्न हुई, नई प्रतिज्ञाएँ लगभग अनुपस्थित रहीं (स्पेन की 20 मिलियन यूरो की प्रतिबद्धता को छोड़कर), और Santiago नेटवर्क के सचिवालय की लागत-प्रभावशीलता पर विवाद के कारण एक स्थायी एजेंडा बिंदु की स्थापना में असफलता रही।

9. कूटनीतिक आयाम: वार्ता की राजनीति

नुकसान व क्षति तंत्र की संपूर्ण यात्रा अंतरराष्ट्रीय जलवायु कूटनीति में गठबंधन-कूटनीति (coalition diplomacy) का एक प्रतिनिधि उदाहरण है, जिसमें विकासशील देशों के विभिन्न गुटों ने दशकों तक सीमित संसाधनों के बावजूद सक्रिय रूप से एजेंडा-निर्माण में भूमिका निभाई। विशेष रूप से, G77+China (विकासशील देशों का व्यापक गठबंधन), AOSIS (लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों का गठबंधन) तथा LDC समूह (अल्पविकसित देश) ने संयुक्त रूप से इस मुद्दे को वार्ता-एजेंडे पर बनाए रखा (PAOLO B. YU III, 2023)। AOSIS ने 1991 में UNFCCC के मसौदे-करण के दौरान ही समुद्र-स्तर वृद्धि से होने वाली हानि-क्षति के लिए औद्योगिकीकृत देशों द्वारा वित्तपोषित एक 'अंतरराष्ट्रीय बीमा पूल' (International Insurance Pool) का सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा, जो सामूहिक हानि-वितरण (collective loss-sharing) की अवधारणा पर आधारित था (Toussaint, P., 2024)। IIED के विश्लेषण के अनुसार, LDC समूह और AOSIS की इस साझेदारी ने G77 के भीतर हानि-क्षति के मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यद्यपि दोनों गुटों के पास सीमित कूटनीतिक और तकनीकी संसाधन थे (Monzani, 2018)।

IJSSRA l ISSN (online): 3107-6238
January-March 2026 l Vol. 1 l Issue 4

इसके विपरीत, अंब्रेला समूह (Umbrella Group) — जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे और अन्य विकसित देश शामिल हैं — ने दशकों तक 'दायित्व और क्षतिपूर्ति' (liability and compensation) की भाषा का दृढ़ता से विरोध किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विशेष रूप से पेरिस समझौते (2015) की वार्ताओं में यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की कि निर्णय 1/CP.21 के पैरा 51 में स्पष्ट रूप से कहा जाए कि "अनुच्छेद 8 किसी भी दायित्व या क्षतिपूर्ति का आधार नहीं बनाता" — यह आशंका जताते हुए कि इसकी स्वीकृति असीमित कानूनी और वित्तीय दायित्वों की एक श्रृंखला खोल सकती है, जिससे अमेरिकी सीनेट की स्वीकृति में बाधा आ सकती है। यूरोपीय संघ ने भी, कुछ हद तक, वित्तीय दायित्वों से जुड़ी चिंताओं को साझा किया, यद्यपि उसकी स्थिति अंब्रेला समूह की तुलना में कम कठोर रही और उसने WIM के माध्यम से तकनीकी सहायता और ज्ञान-वृद्धि पर अधिक ज़ोर दिया। इस प्रकार, विकासशील देशों के गठबंधन और विकसित देशों के प्रतिरोध के बीच की यह जद्दोजहद नुकसान व क्षति तंत्र के विकास को एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील और कानूनी रूप से प्रतिबंधित प्रक्रिया बनाती रही (Schmalenbach, K., 2023)।

10. विकासशील देशों के संदर्भ में विश्लेषण

लघु द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS)

प्रशांत एवं कैरिबियाई क्षेत्र के लघु द्वीपीय राष्ट्रों — जैसे तुवालु, किरिबाती, मालदीव, फिजी — के लिए नुकसान व क्षति केवल एक आर्थिक प्रश्न नहीं, अपितु राष्ट्रीय अस्तित्व (existential survival) का प्रश्न है। समुद्र-स्तर में निरंतर वृद्धि इन देशों के संपूर्ण भू-भाग को जलमग्न करने की क्षमता रखती है, जिससे 'जलवायु शरणार्थी' तथा राष्ट्रीयता-हानि (statelessness) जैसे अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इन्हीं देशों ने AOSIS के माध्यम से नुकसान व क्षति तंत्र की कूटनीतिक नींव रखी तथा निरंतर अग्रणी भूमिका निभाई।

अल्पविकसित देश (LDCs)

अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के अल्पविकसित देशों — जैसे मलावी, मोज़ाम्बिक, बांग्लादेश, नेपाल — के लिए नुकसान व क्षति का मुख्य स्वरूप कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था पर सूखे, अनियमित मानसून तथा बाढ़ का संचयी प्रभाव है। इन देशों

में संस्थागत क्षमता की सीमाएँ — जैसे विस्तृत डेटा-संग्रहण प्रणाली का अभाव — नुकसान के सटीक मात्रीकरण तथा अंतरराष्ट्रीय कोष से अभिगम को कठिन बनाती हैं।

दक्षिण एशिया: पाकिस्तान एवं भारत

पाकिस्तान की 2022 की बाढ़ इस क्षेत्र में नुकसान व क्षति की भयावहता का सर्वाधिक उल्लेखनीय उदाहरण है — विशेषज्ञों के अनुसार यह घटना आंशिक रूप से जलवायु परिवर्तन-प्रेरित थी, तथा इसने पाकिस्तान को COP27 में G77+China की अध्यक्षता करते हुए कोष की स्थापना हेतु एक शक्तिशाली कूटनीतिक प्रवक्ता के रूप में स्थापित किया। भारत में भी हिमालयी क्षेत्र में हिमनद-क्षरण, अनियमित मानसून, शहरी बाढ़ तथा तटीय चक्रवातों (जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल में) के माध्यम से नुकसान व क्षति के व्यापक प्रभाव देखे गए हैं, यद्यपि भारत की विशाल एवं विविधीकृत अर्थव्यवस्था इन प्रभावों को आंशिक रूप से अवशोषित करने में सक्षम रही है — यह स्थिति भारत को इस तंत्र के विश्लेषण में एक विशिष्ट 'दोहरी भूमिका' प्रदान करती है, जिसकी विस्तृत चर्चा अग्र भाग में की गई है।

11. तंत्र की चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

वित्तपोषण अंतराल नुकसान व क्षति तंत्र की सर्वाधिक गंभीर चुनौती है। विकासशील देशों की वार्षिक वित्तीय आवश्यकता 2025 में लगभग 395 बिलियन डॉलर (128–937 बिलियन डॉलर की सीमा के भीतर) आंकी गई है, किंतु जनवरी 2025 तक FRLD को केवल लगभग 741–788 मिलियन डॉलर की प्रतिज्ञाएँ मिलीं — जो कुल आवश्यकता का एक प्रतिशत से भी कम है। इससे भी गंभीर स्थिति यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2025 में अपनी 17.5 मिलियन डॉलर की प्रतिज्ञा वापस ले ली, जिससे कोष की दीर्घकालिक स्थिरता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए। प्रशासनिक बाधाएँ और जटिल आवेदन प्रक्रियाएँ छोटे, संस्थागत रूप से कमज़ोर देशों की अभिगम क्षमता को प्रतिबंधित करती हैं; COP27 (2022) के बाद भी पहला अनुदान आवेदन-आह्वान केवल दिसंबर 2025 में 250 मिलियन डॉलर के सीमित BIM (Barbados Implementation Modalities) पायलट चरण के रूप में जारी हो सका। वैज्ञानिक दृष्टि से, विशिष्ट जलवायु घटनाओं का मात्रीकरण (विशेषतः क्रमिक/धीमी घटनाओं के संदर्भ में) जटिल बना रहता है, जो हानि के दावों के औचित्य-निर्धारण में कठिनाई उत्पन्न करता है। राजनीतिक स्तर पर, विकसित देशों ने कानूनी दायित्व के स्थान पर स्वैच्छिक 'सद्भावना' (goodwill) आधारित अंशदान की रणनीति अपनाई है, जो कोष की वित्तीय स्थिरता को दाता-देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर बनाती है। अंत में, निजी क्षेत्र और बीमा-आधारित मॉडलों की वकालत की आलोचना की जाती है

IJSSRA l ISSN (online): 3107-6238
January-March 2026 l Vol. 1 l Issue 4

कि ये सार्वजनिक उत्तरदायित्व को निजी बाज़ार-आधारित जोखिम में परिवर्तित करते हैं, जिससे न्यूनतम-आय वाले देशों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है।

12. भारत की कूटनीतिक भूमिका: विशेष संदर्भ

भारत ने नुकसान व क्षति वार्ता में परंपरागत रूप से G77+China के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य किया है तथा CBDR-RC सिद्धांत की रक्षा को अपनी कूटनीतिक प्राथमिकता बनाया है। COP27 में भारत ने स्पष्ट रूप से कोष के लाभ को 'सभी विकासशील देशों' तक विस्तृत रखने का समर्थन किया, साथ ही 'सतत् जीवनशैली' (LIFE — Lifestyle for Environment) मिशन को बढ़ावा देकर उपभोग-आधारित उत्सर्जन की चर्चा को भी वार्ता-एजेंडे में जोड़ा। भारत की कूटनीतिक स्थिति की एक विशिष्टता यह रही है कि वह स्वयं एक प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ जलवायु-भेद्यता (हिमालयी क्षेत्र, तटीय राज्य, मानसून-निर्भर कृषि) से भी गंभीर रूप से प्रभावित है — इस दोहरी स्थिति के कारण भारत को विकसित एवं अन्य विकासशील देशों के मध्य एक संभावित कूटनीतिक मध्यस्थ (bridge-builder) की भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त है, विशेष रूप से दाता-आधार विस्तार जैसे विवादास्पद मुद्दों पर। भविष्य में भारत की भूमिका इस बात से भी निर्धारित होगी कि वह अपनी वैश्विक दक्षिण नेतृत्व की कूटनीतिक पूंजी का उपयोग कोष की 2027 की प्रतिकृति-चक्र तथा सरलीकृत अभिगम-व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु किस प्रकार करता है।

13. निष्कर्ष एवं सुझाव

स्तुत विश्लेषण नुकसान व क्षति (L&D) तंत्र की यात्रा को — 1991 के AOSIS प्रस्ताव से लेकर 2025 के COP30 तक — जलवायु न्याय के सैद्धांतिक आदर्शों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक यथार्थवाद के मध्य एक सतत् संघर्ष के रूप में चित्रित करता है। संस्थागत दृष्टिकोण से, कोष की स्थापना (COP27, 2022), संचालन (COP28, 2023) और शासन-ढांचे का समेकन (COP29–COP30) निःसंदेह विकासशील देशों की तीन दशकों की कूटनीतिक मेहनत का सार्थक परिणाम है। तथापि, मूल्यांकन की वास्तविक कसौटी संस्थागत अस्तित्व नहीं, अपितु वास्तविक वित्तीय हस्तांतरण की मात्रा और गति होनी चाहिए — और इस कसौटी पर तंत्र अभी भी वार्षिक आवश्यकता (~395 बिलियन डॉलर) के एक अत्यंत छोटे अंश (~741–788 मिलियन डॉलर) की ही पूर्ति कर पा रहा है।

सुधार हेतु पाँच मुख्य सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं:

1. नवोन्मेषी एवं स्वचालित वित्तपोषण स्रोत: कोष की स्थिरता को राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं से मुक्त करने हेतु, जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर लेवी, अंतरराष्ट्रीय विमानन एवं समुद्री परिवहन शुल्क, तथा वित्तीय लेनदेन कर जैसे स्वचालित स्रोतों को संस्थागत किया जाना चाहिए।

2. सरलीकृत एवं विकेंद्रीकृत अभिगम: छोटे एवं संस्थागत रूप से सीमित-क्षमता वाले देशों हेतु सरलीकृत, न्यूनतम-दस्तावेज़ी आवेदन-प्रक्रिया तथा स्थानीय समुदायों और उप-राष्ट्रीय निकायों तक सीधी अभिगम-व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

3. पूर्व-आवंटित त्वरित-प्रतिक्रिया निधि: आकस्मिक आपदाओं के लिए पूर्व-स्वीकृत न्यूनतम संवितरण-समय (rapid disbursement window) सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि कोष पारंपरिक मानवीय सहायता तंत्र की भांति देरी का शिकार न बने।

4. दाता-आधार विस्तार का संतुलित दृष्टिकोण: CBDR-RC सिद्धांत को कमज़ोर किए बिना, क्षमता-आधारित स्वैच्छिक अंशदान के रूप में दाता-आधार को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो परंतु ऐतिहासिक उत्तरदायित्व पर समझौता न हो।

5. भारत व वैश्विक दक्षिण की मध्यस्थ कूटनीति: भारत जैसे देशों को अपनी दोहरी स्थिति (उभरती अर्थव्यवस्था एवं जलवायु-भेद्य देश) का उपयोग वार्ता-प्रक्रिया में सेतु-निर्माण हेतु करना चाहिए, ताकि 2027 की प्रतिकृति-चक्र वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त एवं पूर्वानुमेय हो सके।

संक्षेप में, नुकसान व क्षति तंत्र जलवायु न्याय की दिशा में एक आवश्यक परंतु अपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि है — इसकी अंतिम सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय 'नैतिक स्वीकृति' को 'पर्याप्त, पूर्वानुमेय एवं न्यायसंगत वित्तीय कार्रवाई' में किस प्रकार और कितनी शीघ्रता से परिवर्तित कर पाता है।

संदर्भ सूची (References)

- UNFCCC (2022). Decision 2/CP.27: Funding Arrangements for Responding to Loss and Damage Associated with the Adverse Effects of Climate Change. Sharm el-Sheikh: UNFCCC Secretariat.
- UNFCCC (2023). Operationalization of the New Funding Arrangements, Including a Fund, for Responding to Loss and Damage. COP28/CMA5, Dubai: UNFCCC Secretariat.
- UNFCCC (2015). Paris Agreement, Article 8, and Decision 1/CP.21. Paris: UNFCCC Secretariat.
- World Bank (2024). Factsheet: Fund for Responding to Loss and Damage. Washington, D.C.: World Bank Group.
- Center for Climate and Energy Solutions (2024). Loss and Damage at COP28 and the Way Forward for 2024. Arlington, VA: C2ES.
- Heinrich Böll Stiftung (2024). The Loss and Damage Fund Board: Getting It Right from the Start. Washington, D.C.: Heinrich Böll Stiftung.
- Heinrich Böll Stiftung (2025). What to Expect for the Fund for Responding to Loss and Damage in 2025. Washington, D.C.: Heinrich Böll Stiftung.
- ODI Global (2025). Loss and Damage Fund: Millions Depend on Us. London: ODI Global.
- World Resources Institute (2025). COP30: Outcomes, Disappointments and What's Next. Washington, D.C.: WRI.
- Carbon Brief (2025). COP30: Key Outcomes Agreed at the UN Climate Talks in Belém. London: Carbon Brief.
- Loss and Damage Collaboration (2025). What Happened on Loss and Damage at COP30? Glasgow: L&DC.
- The New Humanitarian (2025). Big Questions Hang Over Loss and Damage Fund's $250m Trial Run. Geneva: The New Humanitarian.
- UN News (2025). Belém COP30 Delivers Climate Finance Boost and a Pledge to Plan Fossil Fuel Transition. New York: United Nations.
- IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability — Sixth Assessment Report, Working Group II. Geneva: IPCC.
- Roberts, J. T., & Parks, B. C. (2007). A Climate of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy. Cambridge, MA: MIT Press.
- Gomez, M., & Rao, T. (n.d.). Participation, Power and Process: Fixing Climate Negotiations Faculty of Laws. https://www.ucl.ac.uk/laws/sites/laws/files/ucl_climate_briefing_v1_2_8.pdf
- Betzold, C., Castro, P., & Weiler, F. (2011). CIS WORKING PAPER. https://www.files.ethz.ch/isn/135089/WP_72.pdf
- Butt, D. (2006). "The Polluter Pays": Backward-Looking Principles of Intergenerational Justice and the Environment. https://users.ox.ac.uk/~wadh1010/polluter.pdf
- German Council on Foreign Relations. (n.d.). Common But Differentiated Responsibilities (CBDR) | DGAP. Dgap.org. https://dgap.org/en/research/glossary/climate-foreign-policy/common-differentiated-responsibilities-cbdr

- Debergh, R. (2021, June 10). Climate Justice in the UNFCCC. ClimaTalk - Climate Is Talking. https://climatalk.org/2021/06/10/climate-justice-in-the-unfccc/
- UNFCCC. (1992). United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations. https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
- Mayer, B. (2017). Migration in the UNFCCC Workstream on Loss and Damage: An Assessment of Alternative Framings and Conceivable Responses. Transnational Environmental Law, 6(1), 107–129. doi:10.1017/S2047102516000078
- White, H., Ormond-Skeaping , T., & Niyitegeka, H. (2025). WHAT IS AT STAKE UNDER THE THIRD REVIEW OF THE WARSAW INTERNATIONAL MECHANISM FOR LOSS AND DAMAGE. Lossanddamagecollaboration.org. https://www.lossanddamagecollaboration.org/resources/what-is-at-stake-under-the-third-review-of-the-warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage
- Loss and Damage in Paris and State Responsibility - Legal Response International. (2025, September 12). Legal Response International. https://legalresponse.org/resource/loss-and-damage-in-the-paris-agreement-and-cop-decision-and-state-responsibility/
- United Nations Climate Change Conference. (2019). Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/2019_United_Nations_Climate_Change_Conference
- Briefing: Towards a Glasgow Dialogue that matters. (2022). https://www.germanwatch.org/sites/default/files/can_ldc_briefing_towards_a_glasgow_dialogue_that_matters.docx.pdf
- The United States Agrees to Loss and Damage Fund at COP27. (2023). American Journal of International Law, 117(2), 330–335. doi:10.1017/ajil.2023.13
- UNFCCC. (2023). COP 28: What Was Achieved and What Happens Next? Unfccc.int. https://unfccc.int/cop28/5-key-takeaways
- Schalatek, L. (2025). FUND FOR RESPONDING TO LOSS AND DAMAGE. https://climatefundsupdate.org/wp-content/uploads/2025/03/CFF13-2025-ENG-FRLD-DIGITAL.pdf
- PAOLO B. YU III, V. (2023). THE UNFCCC LOSS AND DAMAGE FUND AND RELATED PROCESSES. Lossanddamagecollaboration.org. https://www.lossanddamagecollaboration.org/publication/the-unfccc-loss-and-damage-fund-and-related-processes
- Toussaint, P. (2024). Loss and Damage, Climate Victims, and International Climate Law: Looking Back, Looking Forward. Transnational Environmental Law, 13(1), 134–159. doi:10.1017/S2047102523000237
- Monzani, B. (2018). IIED support to the Least Developed Countries Group Influencing global climate change negotiations. https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/17466IIED.pdf
- Schmalenbach, K. (2023). Paris Agreement. In: Gailhofer, P., Krebs, D., Proelss, A., Schmalenbach, K., Verheyen, R. (eds) Corporate Liability for Transboundary Environmental Harm. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-13264-3_16